संख्या-11/2020/ 583/अडतीस-7-2020-10नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनाँक 19 मई, 2020**

विषयः मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु मेट की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश 2019-20 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कराये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 50 मजदूरों पर एक मेट की नियुक्ति की जाय, जो अर्द्धकुशल हो और उसे प्रतिदिन रू0 320/- की दर से पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

2- वर्तमान में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश में 3056000 श्रमिक कार्यरत हैं। अत: जिन साइट्स पर मानकों के अनुसार मेट की तैनाती हो सकती है, वहां मेट की तैनाती अवश्य की जाय। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मेट का मुख्य कार्य, कार्य स्थलों का पर्यवेक्षण करना, मस्टर रोल में मोबाइल ऐप से श्रमिकों की दैनिक हाजिरी दर्ज करना, कार्य मापन के साथ-साथ बनाना, जॉब कार्ड अद्यतन कराना, कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना, श्रमिकों द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित कराना, सैनेटाइजर, साबुन व पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना भी होगा। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत मेट स्वंय सहायता समूह की महिलाओं से लिये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत सभी कार्यस्थलों, जहां आवश्यक हो, पर मेट की व्यवस्था अवश्य की जाय।

3- उपर्युक्त के अनुक्रम में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 58906 ग्राम पंचायतें, 1,07,000 राजस्व ग्राम तथा लगभग 3,75,000 मजरे हैं। अत: यह उचित होगा कि मनरेगा योजनान्तर्गत बडी परियोजनाओं पर कार्य कराने के साथ-साथ विकेन्द्रित तरीके से ज्यादा से ज्यादा कार्यस्थलों पर कार्य कराया जाय। यदि प्रत्येक मजरे में मनरेगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के उपरांत कार्य कराये जाते हैं तो श्रमिकों को उनके घर के पास ही कार्य मिल सकता है तथा मेट की तैनाती से कार्यस्थलों की संख्या बढाने में भी मददगार होगी।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-11/2020/583(1)/अडतीस-7-2020तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।**
2. **अपर आयुक्त(मनरेगा), उ0प्र0, लखनऊ।**
3. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।**
5. **गार्डबुक।**

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in